

उत्तराखण्ड सरकार
निर्वाचन विभाग,
संख्या ९५०/XXV-45-2(3)/2007
दिनांक देहरादून २१ अक्टूबर, 2015
सार्वजनिक नीलामी-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन, निर्वाचन विभाग के विभागीय वाहन संख्या-UA-07Q-5555 एम्बेसडर कार, मॉडल-2007 जो सचिवालय परिसर में खड़ी है, की सार्वजनिक नीलामी "जहां है, जैसी है" के आधार पर नीलामी हेतु गठित समिति के सम्मुख दिनांक 17 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 3.00 बजे सचिवालय परिसर, योजना भवन, प्रथम तल में स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष-101 में की जायेगी। इच्छुक बोलीदाता विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में वाहन का निरीक्षण कर सकता है। नीलामी की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये रू० 15,000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पदनाम से तैयार किया गया हो एवं भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में देय हो, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्वाचन अनुभाग में जमा करते हुए टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वाहन की नीलामी में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा एवं बोली लगाने के लिये अधिकृत होगा जिसके पास उक्तानुसार धरोहर के रूप में जमा की गई धनराशि का टोकन उपलब्ध होगा।

वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में निर्धारित नियम, शर्तें तथा वाहन आदि का विवरण सचिवालय परिसर के योजना भवन, प्रथम तल पर स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में नीलामी की सूचना प्रकाशित होने की तिथि से दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। विभागीय वेबसाइट ceo.uk.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।


(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन निर्वाचन विभाग के विभागीय वाहन संख्या-UA-07Q-5555 एम्बेसडर कार, मॉडल-2007 की नीलामी के सम्बन्ध में नियम और शर्तें।

1. निर्वाचन विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-UA-07Q-5555 एम्बेसडर कार, मॉडल-2007 की सार्वजनिक नीलामी "जहां है, जैसी है" के आधार पर नीलामी हेतु गठित समिति के माध्यम से सचिवालय स्थित प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 17 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 3.00 बजे से की जायेगी।
2. उक्त निष्प्रयोज्य वाहन सचिवालय स्थित योजना भवन के भूतल तल में खड़ा है। इच्छुक व्यक्ति नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तक किसी भी कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक समिति के अध्यक्ष के निर्देशानुसार अनुभाग अधिकारी के पर्यवेक्षण में वाहन का निरीक्षण कर सकता है।
3. बोलीदाता को सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होने के लिये ₹0 15,000.00 (पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के पदनाम से तैयार किया गया हो एवं भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा देहरादून में देय हो, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को अपरान्ह 4.00 बजे तक निर्वाचन अनुभाग में जमा करते हुए टोकन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. वाहन की नीलामी में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा एवं बोली लगाने के लिये अधिकृत होगा जिसके पास उक्तानुसार धरोहर के रूप में जमा की गई धनराशि का टोकन उपलब्ध होगा।
5. शासनादेशों के अनुरूप वाहन का न्यूनतम मूल्य ₹0 55,000.00 (पचपन हजार मात्र) निर्धारित किया गया है। निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक राशि पर ही बोली प्रारम्भ की जायेगी।
6. समिति के द्वारा अन्तिम बोलीदाता की बोली स्वीकृत किये जाने की स्थिति में उच्चतम बोली की धनराशि के कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि, जिसमें पूर्व में जमा की गई धरोहर की धनराशि भी समायोजित हो सकेगी, तत्काल समिति के अध्यक्ष के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता को शेष सम्पूर्ण धनराशि अधिकतम तीन दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 21 नवम्बर, 2015 तक उच्चतम बोली की सम्पूर्ण धनराशि पर व्यापार कर सहित नकद रूप में निर्वाचन अनुभाग में जमा करनी होगी और तत्पश्चात् ही तत्काल निष्प्रयोज्य वाहन को "जहां है, जैसी है" की स्थिति से स्वयं के व्यय पर उठाना होगा। ऐसा न करने की दशा में उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा द्वितीय उच्च बोली पर वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में विचार किया जा सकेगा।
8. उच्चतम बोली दाता की धरोहर राशि उसकी उच्चतम बोली की धनराशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा शेष अन्य की धरोहर राशि नीलामी की कार्यवाही के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
9. किसी भी बोली अथवा सम्पूर्ण बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त करने का सर्वाधिकार सुरक्षित होगा, जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगा।
10. निष्प्रयोज्य वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में चुनौती दिये जाने का अधिकार बोलीदाताओं को नहीं होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में समिति की संस्तुति पर प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. बोलीदाता के रूप में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को धरोहर की राशि जमा करते समय, टोकन प्राप्त करने से पूर्व पहचान के रूप में आवश्यक प्रमाण-पत्र जैसे राशन कार्ड की प्रति, मतदाता फोटो पहचान पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई समुचित प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. बोलीदाताओं को नीलामी में सम्मिलित होने हेतु टोकन प्राप्त करते समय वाहन की नीलामी के सम्बन्ध में निर्धारित नियम/शर्तें मान्य होने के सम्बन्ध में लिखित अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा।
13. अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यदि कोई आवश्यक हुए तो उसे नीलामी से पूर्व समिति द्वारा सुना दिया जायेगा।

स्थान-देहरादून

दिनांक 23 अक्टूबर, 2015

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी